भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 565

उत्तर देने की तारीख: 06/02/2023

स्कूल स्तर पर तंबाकू के हानिकारक प्रभाव संबंधी जागरूकता

†**565. कुमारी राम्या हरिदासः**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में वैश्विक युवा सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है, कि 13-15 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों का लगभग पांचवा भाग किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों (धूम्रपान, धुआं रहित और किसी अन्य रूप) का उपयोग करते हैं और क्या तम्बाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में बच्चों और उनके माता-पिता को जागरूक करने में स्कूल और शिक्षक महत्वपूर्ण हैं;

(ख) क्या सरकार की तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के बारे में स्कूल जाने वाले बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए कोई पाठ्यचर्या विकसित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे शिक्षा प्रणाली के किस स्तर पर शामिल किया जा सकता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वेक्षण (जीवाईटीएस-4), 2019 की राष्ट्रीय फैक्ट शीट के अनुसार, 13-15 वर्ष की आयु के छात्रों (19.3% लड़के और 16.9% लड़कियों) का लगभग पांचवें हिस्से (18.1%) ने किसी न किसी तम्बाकू उत्पाद का उपयोग किया है। हालाँकि, वर्तमान तंबाकू उपयोग 8.5% था जो 2009 में 14.6% से कम हो गया है। छात्रों के बीच समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों द्वारा तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। स्कूल**

प्रमुखों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, (सीओटीपीए), 2003 के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पहले से ही पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में तंबाकू, ड्रग्स और नशीले पदार्थों से संबंधित आयु-उपयुक्त सामग्री को शामिल कर लिया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर सामग्री की चर्चा एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों, बारहवीं कक्षा के लिए जीव विज्ञान, कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में की गई है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी), किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) और आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (एसएचपी) के तहत शैक्षणिक सत्र में 23 घंटे की विशेष कक्षाएं, मास्टर प्रशिक्षकों और नोडल शिक्षक के लिए 5-6 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्कूलों में विशेष व्याख्यान, रोल प्ले, लोक नृत्य, पोस्टर मेकिंग, रचनात्मक लेखन, वाद-विवाद, चर्चा और कौशल निर्माण गतिविधियों जैसी अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों का आयोजन स्कूली छात्रों के साथ तंबाकू, नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने तंबाकू/धुआं के संपर्क से सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए अपने संबद्ध स्कूलों को 'तंबाकू के धुएं के संपर्क से सुरक्षा पर दिशानिर्देश' जारी किए हैं। सीबीएसई सभी छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए इससे संबद्ध स्कूलों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी करता रहा है। नवोदय विद्यालय समिति ने पहले ही सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में "राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम" लागू कर दिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन सुबह की सभा में वार्ता, सह-पाठयक्रम गतिविधियों और किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रतियोगिताओं के द्वारा तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में अपने छात्रों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

*****